जनसत्ता

28 मार्च, 2019

# सुरक्षा का अंतरिक्ष

अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने निरंतर प्रगति की है और कई मामलों में साबित कर दिखाया है कि दुनिया के किसी भी विकसित देश से वह पीछे नहीं है। बहुत कम समय में यहां के अंतरिक्ष विज्ञानियों ने अपनी तकनीक विकसित की और उपग्रह प्रक्षेपण के क्षेत्र में अग्रणी देशों की कतार में भारत को खड़ा कर दिया। अब बहुत सारे देश- ऐसे भी देश, जिनके पास उपग्रह प्रक्षेपण की उन्नत तकनीक है- भारत के उपग्रह प्रक्षेपण यानों की मदद लेने लगे हैं। इस तरह उपग्रह प्रक्षेपण कारोबार में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी प्रगति की उल्लेखनीय उपलब्धि मिशन शक्ति है। इसमें रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने पृथ्वी की निचली कक्षा में भ्रमण कर रहे एक उपग्रह को निशाना बना कर ध्वस्त कर दिया गया। इससे यह साबित हुआ कि भारत अपनी उपग्रह संपदा की रक्षा करने में सक्षम है और अगर कोई दूसरा उपग्रह उसके उपग्रहों पर घात लगाता है, तो उसे पृथ्वी की सतह से निशाना बनाया जा सकता है। अभी तक यह तकनीक अमेरिका, रूस और चीन के पास थी। इससे भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में ताकत और बढ़ गई है।

पृथ्वी की सतह से किसी भी उपग्रह को निशाना बना कर ध्वस्त करना असान नहीं होता, क्योंकि वे तीन सौ किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थिति होते हैं। फिर वे इतनी तेजी से पृथ्वी की कक्षा में भ्रमण कर रहे होते हैं कि उन पर निशाना साधने में थोड़ी-सी भी असावधानी या आकलन में गड़बड़ी से न सिर्फ वार खाली जा सकता है, बल्कि वह किसी अन्य उपग्रह के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। एक समय में अनेक देशों के अनेक उपग्रह कुछ अंतर पर पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगा रहे होते हैं। मसलन, भारत के अड़तालीस उपग्रह इस समय स्थापित हैं। इसी तरह दूसरे देशों के उपग्रह हैं। चूंकि दुनिया में बहुत सारे काम सूचना तकनीक पर निर्भर होते गए हैं, उपग्रहों की जरूरत भी बढ़ती गई है। इस तरह अंतरिक्ष में उपग्रह भी देशों की अपनी संपत्ति होते हैं। उनकी रक्षा की जरूरत महसूस की जाती रही है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई अवसर नहीं अया, जब किसी दुश्मन उपग्रह ने किसी उपग्रह पर टेढ़ी दृष्टि डाली हो और उसे निशाना बनाने की जरूरत पड़ी हो, पर अंतरिक्ष में बढ़ती होड़ को देखते हुए इस आशंका से आंख नहीं फेरी जा सकती। इस लिहाज से मिशन शक्ति इस बात की तस्दीक करता है कि भारत अपनी उपग्रह संपदा की रक्षा के मामले में सक्षम है।

हालांकि डीआरडीओ ने यह बैलेस्टिक मिसाइल करीब सात साल पहले ही तैयार कर ली थी, जिसके जरिए अभी करीब तीन सौ किलोमीटर दूर गतिमान उपग्रह को भेदने में कामयाबी हासिल की गई। यह उसी का परीक्षण था। इसके लिए करीब दो महीने पहले साढ़े सात सौ किलो वजन का एक छोटा उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था। उसे भेदने में पूरी तरह कामयाबी मिली। डीआरडीओ का दावा है कि उसके पास पांच हजार किलोमीटर की दूरी पर भी संचरण कर रहे उपग्रह को निशाना बना कर ध्वस्त करने की क्षमता है। हालांकि अंतरिक्ष में उपग्रहों को इस तरह नष्ट करने से मलबा जमा होने और फिर दूसरे उपग्रहों के लिए बाधा उत्पन्न होने का खतरा रहता है। पर भारत का मिशन शक्ति इस उद्देश्य से नहीं चलाया गया। इसका मकसद सिर्फ अपनी उपग्रह संपदा की रक्षा करना है।

# बेमानी डर

हाल के दिनों में पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति को लेकर जैसी खबरें आ रही हैं, उससे यही लगता है कि उसे कई मोर्चों पर एक साथ जूझना पड़ रहा है। लेकिन उसे दुरुस्त करने के लिए कोई ठोस पहलकदमी करने के बजाय वहां के नेताओं को इस बात की फिक्र ज्यादा लग रही है कि भारत क्या कर रहा है! मंगलवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि भारत 'युद्धोन्माद' से ग्रस्त है और वहां चूंकि चुनाव है, इसलिए फिर से टकराव की आशंका है और इससे पाकिस्तान चिंतित है। सवाल है कि यह डर आखिर वहां के नेताओं के मन में क्यों बैठ गया है कि भारत अब भी पाकिस्तान के सामने कोई खतरा पैदा कर सकता है! अव्वल तो ऐसा मौका शायद कभी नहीं आया है जब भारत ने बिना किसी उकसावे के पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की हो। दूसरे, आतंकी हमलों के हद से गुजर जाने के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर बालाकोट में हवाई हमला किया था। लेकिन यह ध्यान रखने की जरूरत है कि भारत की ओर से हुआ वह लक्षित हमला मूल रूप से उन आतंकी संगठनों के खिलाफ था, जिनके बारे में ये तथ्य बार-बार उभरते रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान की शह और शरण मिली हुई है।

एक ताजा खबर के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक का वित्तपोषण नहीं रोक पाने की वजह से पाकिस्तान पर अब एशिया प्रशांत समूह की ओर से निगरानी सूची में डाले जाने का जोखिम मंडरा रहा है। इससे पहले पेरिस स्थित वित्तीय कार्रवाई कार्यबल पिछले साल पाकिस्तान को निगरानी सूची में डाल चुका है। भारत लंबे समय से पाकिस्तान से यह कहता रहा है कि वह अपनी सीमा में स्थित ठिकाने से आतंकी गतिविधियां संचालित करने वाले आतंकी संगठनों पर लगाम लगाए। लेकिन भारत की इस मांग को पाकिस्तान ने शायद ही कभी तवज्जो दी। यह बेवजह नहीं है कि जैश-ए-मोहम्मद या लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों का हौसला लगातार बढ़ता गया है और वे भारत के सामने समय-समय पर चुनौती पेश करते रहे हैं। पिछले महीने पुलवामा में आतंकी हमले में जिस तरह सीआरपीएफ के बयालीस जवानों की जान चली गई, वह भारत की सहनशक्ति को पार कर गया था और तभी बालाकोट में स्थित जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शिविर पर हमला किया गया था। वरना भारत ने अधिकतम धीरज ही बनाए रखा और कूटनीति के जरिए मसले को सुलझाने पर जोर दिया है।

विचित्र है कि एक तरफ पाकिस्तान करतारपुर गलियारे पर नरम रुख अपना कर भारत के साथ संबंधों को सहज बनाने का दावा करता है और दूसरी ओर अपने यहां के आतंकी संगठनों की गतिविधियां संचालित करने के मसले पर कोई ठोस कदम उठाने से हिचकता है। इस दोहरे रवैये के रहते पाकिस्तान भारत से क्या उम्मीद करता है? पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री इमरान खान अक्सर दावा करते हैं कि अब वे नया पाकिस्तान बना रहे हैं। अगर वे अपने इस विचार को लेकर ईमानदार हैं तो बेहतर यह हो कि वे पाकिस्तान के भीतर शासन से लेकर विकास तक के दूसरे जरूरी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। आतंकी और कट्टरपंथी संगठनों को बढ़ावा देने की पृष्ठभूमि में पाकिस्तान ने कितना कुछ गंवाया है, इसे इमरान खान शायद बेहतर महसूस कर रहे होंगे। तो उम्मीद है कि वे आतंकवाद संबंधी भारत की परेशानियों को भी समझने की कोशिश करेंगे और इससे पूरी तरह मुक्ति का रास्ता तैयार करने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे।

## कल्पमेधा

**आप अपने दुश्मन के साथ शांति स्थापित करना चाहते हैं तो आपको उसके साथ काम करना होगा। आपका साथी वह तभी बनेगा।**

**-नेल्सन मंडेला**

# रोजगार की चुनौती

संजय ठाकुर

**देश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी से स्पष्ट है कि गरीबी-उन्मूलन और रोजगार-सृजन पर केंद्रित योजनाएं वास्तविक उद्देश्य से बुरी तरह पिछड़ी हुई हैं। इन योजनाओं के प्रति बरती गई लापरवाही बेरोजगारी को लेकर सरकार के नकारात्मक दृष्टिकोण को ही उजागर करती है। योजनाओं का अंबार लगा देने भर से बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता।**

भारत में बेरोजगारी की मौजूदा दर पिछले पैंतालीस वर्षों में सबसे ज्यादा है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) की रिपोर्ट के अनुसार यह दर 6.1 फीसद है जो कि वर्ष 1972-73 के बाद सबसे ज्यादा है। वर्ष 2011-12 में यह सिर्फ 2.2 फीसद थी। केंद्र सरकार ने एक वर्ष पहले रोजगार से संबंधित सर्वेक्षण नहीं करवाए जाने की बात कही थी। इसके बाद जब सर्वेक्षण करवाया गया तो रोजगार की बुरी स्थिति सामने आई और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद भी सरकार ने इसे जारी नहीं किया। रोजगार के आंकड़े जारी नहीं किए जाने के विरोध-स्वरूप आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष पीसी मोहनन और सदस्य जेवी मीनाक्षी ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं होने से सरकार पर पहले से ही लगातार सवाल उठ रहे थे कि भारत में रोजगार की स्थिति जानने के लिए सर्वेक्षण क्यों नहीं करवाया जा रहा है। इसका सीधा-सा अर्थ यही निकलता है कि सरकार देश में रोजगार और बेरोजगारी की वास्तविक स्थिति से संबंधित तथ्यों को सामने लाने से बच रही थी।

एनएसएसओ की रिपोर्ट में इस बात को भी उजागर किया गया है कि बेरोजगारों में सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की है जो तेरह से सत्ताईस फीसद है। ज्यादातर बेरोजगार शहरी क्षेत्रों में हैं। शहरी क्षेत्रों में जहां बेरोजगारी की दर 7.8 फीसद है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर 5.3 फीसद है। शहरी क्षेत्रों में पंद्रह से उनतीस वर्ष के आयु-वर्ग में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है। शहरों में इस आयु-वर्ग के 18.7 फीसद युवक और 27.2 फीसद युवतियां हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 17.4 फीसद युवक और 13.6 फीसद युवतियां बेरोजगार हैं। यह समस्या तब और भी विकट हो जाती है जब हर महीने लगभग दस लाख नए रोजगार की जरूरत पड़ती है और इसकी तुलना में रोजगार-सृजन न के बराबर ही हो रहा है। रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि देश के लगभग सतहत्तर फीसद घरों में नियमित वेतन या आय का कोई साधन नहीं है।

इस रिपोर्ट से एक नतीजा यह निकलता है कि लघु व मध्यम दर्जे के उद्योग पूरी तरह से उपेक्षित हैं। इनकी हालत अच्छी नहीं है। ये उद्योग लगभग चालीस फीसद लोगों को रोजगार दे रहे हैं। भारत में निर्मित सामान में इनका हिस्सा पैंतालीस फीसद और कुल निर्यात में चालीस फीसद है। कोई भी सहायक सरकारी नीति न होने से इन उद्योगों को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है। सरकार की वित्तीय नीतियां भी बड़ी कंपनियों पर ही केंद्रित होती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी इन छोटे उद्योगों को कर्ज देने की बजाय बड़ी कंपनियों को ज्यादा तवज्जो देते हैं। वैश्वीकरण के इस दौर में प्रतिस्पर्धा बढ़ने से छोटे उद्यमों को अपने उत्पादों को बाजार में बेचना मुश्किल हो गया है। ऐसे में सरकारी उपेक्षा के शिकार इन उद्योगों की मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं और इसका सीधा असर रोजगार पर पड़ता है।

लगभग चार से पांच करोड़ कामगार अभी भी भारत के असंगठित व अनौपचारिक उपक्रमों में कार्यरत हैं। इनमें ज्यादा संख्या किसानों की है। संगठित उपक्रमों में रोजगार के बहुत कम अवसर होने से अनौपचारिक व असंगठित क्षेत्रों का महत्त्व और बढ़ जाता है। संगठित उपक्रमों में अतिरिक्त श्रम बल के समायोजन की क्षमता अत्यंत सीमित होती है। संगठित उपक्रमों में विकास को विशेषकर स्थानीय नीतियां प्रभावित करती हैं। छोटे संगठित क्षेत्रों को कौशल रहित लोगों को रोजगार देना, नकदी अभिदान आदि जैसी विवशताओं से पार पाना मुश्किल हो जाता है जिस कारण ऐसे उद्यमों का चल पाना खटाई में पड़ जाता है।

यों तो देश में गरीबी उन्मूलन और रोजगार-सृजन के लिए सरकार ने बहुत-से कार्यक्रम चलाए हैं, लेकिन सही क्रियान्वयन के अभाव में ये कार्यक्रम कागजों में योजनाओं और नीतियों के रूप में ही दर्ज रह जाते हैं और गरीबी हटाने, गरीबों की आय बढ़ाने, नए रोजगार पैदा करने, उत्पादक-परिसंपतियां बनाने और तकनीक व उद्यमिता से संबंधित कौशल बढ़ाने में इनका कोई योगदान नहीं हो पाता। ये योजनाएं गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों को रोजगार देने और इनके स्वरोजगार पर लक्षित हैं, लेकिन सरकार व संबंधित प्रशासन द्वारा सही तरह से कार्यरूप न दिए जाने से लोग इनका लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं। यह एक विडंबना ही है कि गरीबी हटाने और रोजगार बढ़ाने के लिए बनाई गई योजनाएं न तो गरीबी हटा पाती हैं और न ही रोजगार-सृजन में इनका कोई बड़ा योगदान होता है।

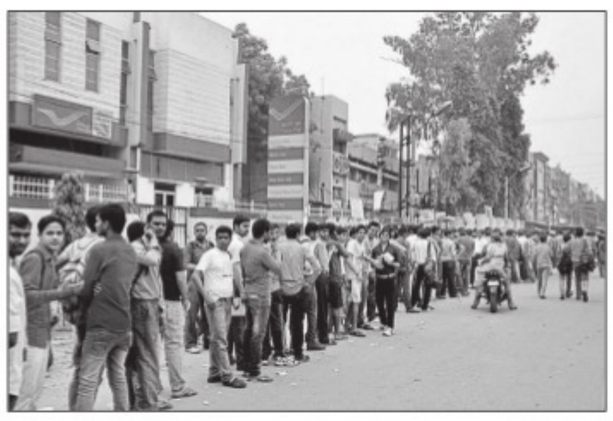



देश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी से यह स्पष्ट है कि गरीबी-उन्मूलन और रोजगार-सृजन पर केंद्रित योजनाएं वास्तविक उद्देश्य से बुरी तरह पिछड़ी हुई हैं। इनके क्रियान्वयन को लेकर सवाल खड़े होते हैं जिनके प्रति सरकार जवाबदेह है। इन योजनाओं के प्रति बरती गई लापरवाही बेरोजगारी को लेकर सरकार के नकारात्मक दृष्टिकोण को ही उजागर करती है। योजनाओं का अंबार लगा देने भर से बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। रोजगार से संबंधित किसी एक योजना के सही क्रियान्वयन से भी निश्चित ही रोजगार के क्षेत्र में उत्साहजनक परिणाम निकल सकते हैं।

बेरोजगारी की समस्या से कई मोर्चों पर लड़ने की जरूरत है। अनौपचारिक व असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों और स्वरोजगार में लगे लोगों के लिए समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उनके कौशल को बढ़ा कर उनकी उत्पादकता और आय में सुधार लाया जा सके। प्रशिक्षण के क्षेत्र में केंद्र व राज्यों की सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों के बीच तालमेल और पारदर्शिता लाने की जरूरत है। रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए यह जरूरी है कि निर्यात करने वाले बड़े, लघु व मध्यम दर्जे के और कृषि-उत्पादों की प्रोसेसिंग करने वाले उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। इससे गांवों और कस्बाई क्षेत्रों के युवाओं को भी रोजगार के लाभ से जोड़ा जा सकेगा।

देश में रोजगार के अनुरूप प्रशिक्षण की बहुत ज्यादा जरूरत है। रोजगार के लिए लोगों का कौशल बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार के अवसर पैदा किए जाने चाहिए। श्रमबल की गुणवत्ता को बढ़ाने और उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार को पैदा करने में सक्षम विकास-प्रक्रिया की सहायक कौशल-विकास और शिक्षा संबंधी समुचित नीतियों को लागू करने की भी जरूरत है। व्यक्तिगत क्षेत्र में रोजगार-सृजन के लिए विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण समुचित क्षेत्रीय स्तर की नीतियों का अनुसरण किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय स्तर की इन नीतियों को व्यापक रूप से सकल घरेलू उत्पाद की विकास-दर के उद्देश्य के भी अनुकूल होना चाहिए। कृषि-विस्तार सेवाओं को सुदृढ़ करने के अतिरिक्त उपभोक्ता-अधिभार, स्टांप-शुल्क और संपत्ति-कर को और तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए। ऐसी बातों पर ध्यान देकर सात से दस करोड़ लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। इसके अलावा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बजाय श्रम-बाजार में स्थानीय उद्योगों की स्थिति को मजबूत करने की जरूरत है। संगठित क्षेत्रों में श्रम-बाजार को चलाने वाली नीतियां सुदृढ़ करने के साथ-साथ एक ऐसा कानूनी वातावरण बनाया जाना चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा कामगारों को लाभ पहुंचाया जा सके। ऐसे उपायों से निश्चित ही बेरोजगारी कम की जा सकती है।

वर्तमान समय में देश में ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, रोजगार व खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और गांवों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों को साल में एक सौ दिन का रोजगार देने की गारंटी प्रदान करने वाली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चलाई जा रही है। इसके अलावा श्रमिकों के लिए रोजगार, कौशल विकास और अन्य सुविधाओं में सुधार करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद रोजगार के मौके पैदा नहीं हो रहे और बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ रहा है।

# भरोसे के तार

चंद्रकुमार

## दुनिया मेरे आगे

लंबी दूरी की रेल यात्राएं अपने आप में बहुत-सी यादें लेकर आती हैं। डिब्बे में आमने-सामने बैठे लोग कुछ समय असहज जरूर रहते हैं, फिर बतियाना शुरू करते हैं और यात्रा में एक-दूसरे की सहायता करते हैं। तब यात्रा बोझिल न होकर यादगार बन जाती है। बिना किसी फौरी फायदे के ये रिश्ते कई बार ताउम्र लोगों को बांधे रहते हैं। यहां जानबूझ कर रेल का ही जिक्र किया गया है, जबकि लंबी दूरी के सफर तो और भी कई साधनों से तय किए जाते हैं। रेल के डिब्बे में यात्रा कर रहे यात्रियों का गंतव्य जब एक हो तो उस सफर का मजा ही कुछ और है। तब वह डिब्बा घर के किसी कमरे की तरह महसूस होता है, जिसमें सारे मेहमान ही होते हैं।

लेकिन ऐसा तभी तक होता है जब तक समाज में परस्पर विश्वास बना रहता हो। असमंजस भरे इस समय में अविश्वास ऐसे सभी अनौपचारिक रिश्तों को निगल लिया है। हाल ही में सफर के दौरान एक बुजुर्ग दंपति से मिलना हुआ, जो अपने बेटे के यहां कुछ समय बिता कर घर लौट रहे थे। मुझे मोबाइल से जब फुर्सत मिली तो उन्होंने बातचीत शुरू की और साथ ही मुझसे अपने और परिवार के बारे में पूछा। अपने बारे में भी बताया। राजनीति, देश-समाज, युवाओं के कॅरियर के लिए नए प्रयोग सहित बातों का यह सिलसिला चलता रहा। रात होने पर मैंने अपनी नीचे की सीट उन्हें दी और खुद ऊपर की सीट पर जाकर सो गया। सुबह हमारे गंतव्य से पहले उन्होंने मुझे जगाया और फिर बातों का दौर शुरू हो गया।

आमतौर पर बुजुर्ग युवाओं में खोट-कसर निकालने वाले होते हैं, लेकिन यह दंपति समय के साथ ताल मिला कर चलने वाला लगा। मोबाइल और सोशल मीडिया के बेतहाशा प्रयोग से थोड़े खिन्न, फिर भी आसपास हो रही घटनाओं पर पैनी नजर रखते हुए कमोबेश खुश दिखने वाले भले लोग थे। परिवर्तन को समय की मांग कहते हुए वे हमारी पीढ़ी से खुश दिख रहे थे। बहरहाल, देरी से गंतव्य पहुंची हमारी गाड़ी को मुख्यद्वार से बहुत दूर वाले प्लेटफार्म पर जगह मिली। यहां से मुख्यद्वार तक जाने के लिए सीढ़ियों के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। छोटे स्टेशनों पर कुली ज्यादा नहीं होते। अमूमन लोग तकलीफ पाकर भी अपना सामान खुद ही लादे स्टेशन पर दिखाई देते हैं।

हमारे साथ के दंपति को जब मालूम हुआ तो वे थोड़े असमंजस में थे। उनकी मनःस्थिति जान कर मैंने उनका सामान बोगी से उतारने में पहल की और दोनों को अंतिम प्लेटफार्म पर सामान के साथ उतार लिया। उनकी दुविधा अभी खत्म नहीं हुई थी। स्टेशन के अंतिम छोर से पहले सीढ़ियों तक पहुंचना, फिर पुल पर से पांच-छह पटरियों को अपने सामान के साथ पार करते हुए मुख्यद्वार तक जाना- यह सब उनके लिए तकलीफ का काम था। मैंने एक सहयात्री से सहायता मांग कर उनको सामान के साथ मुख्यद्वार तक पहुंचाने का सुझाव दिया, लेकिन वे थोड़े संकोच में दिखे। आखिर मान गए। जब सामान के साथ उन्हें स्टेशन से बाहर तक छोड़ा तो बड़ी ही साफगोई से बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी मुश्किल बताई कि उन्हें बिना वजह यह संदेह था कि कहीं सामान के साथ हम चंपत न हो जाएं।

मुझे हैरानी हुई। लेकिन संदेह उनको था तो सफाई भी वे ही दे रहे थे। समाचार पत्रों और आसपास के लोगों से सुनी बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने अपनी व्यथा बताई। अनजान व्यक्ति से ज्यादा घुल-मिलने से परहेज करने के संदेश बहुत-सी सार्वजनिक जगहों पर चस्पां रहते हैं, इसलिए उसमें उनका कोई दोष नहीं था। समय जब अविश्वास से भरा हो तो कोई कैसे किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करे! बहरहाल, हल्के माहौल में उन्होंने हंस कर बात को समाप्त किया और धन्यवाद देते हुए खूब आशीष भी दिया। शायद उनके मन में जो अकारण संदेह था, कम से कम अब नहीं रहा होगा। चेहरे की खुशी बता रही थी कि वे 'अनजान लोगों से सचेत रहने' की चेतावनी का सामान्यीकरण करके झेंप गए थे।

छोटी-सी इस घटना ने हालांकि मुझे अंदर तक झकझोर दिया था। क्या हम वाकई ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां बहुत कुछ अकारण ही हुआ जा रहा है? अनजाने को अपनाने वाले हमारे समाज और भाईचारे की मिसालों वाला देश आखिर कहां छूट गया है? जिस देश में सार्वजनिक जलमंदिरों पर लोटा-गिलास, पोस्ट ऑफिसों में गोंद की शीशी और बैंकों में पेन तक चेन से बांध कर रखे जाते हैं, उस देश में अविश्वास मिटाने में हमें बहुत मेहनत लगने वाली है। लेकिन यह संभव है। बस हमें अपनी सोच थोड़ी बदलनी पड़ेगी। फिर से परस्पर सौहार्द और विश्वास का माहौल बनाना होगा। क्या हम इसके लिए तैयार हैं, ताकि अपनी भावी पीढ़ियों के लिए वही दुनिया छोड़ जाएं जो हमें विरासत में कभी मिली थी? इतना तो हमें करना ही होगा। हमारी यह छोटी-सी पहल बहुत कुछ बदल सकती है। अविश्वास को मिटाना ही होगा, नहीं तो अनेकता में एकता के सुर हम कहां ढूंढ़ेंगे?

## भ्रष्टाचार के विरुद्ध

भ्रष्टाचार ऐसी समाजार्थिक और नैतिक बुराई है जिसने हमारे देश के आर्थिक विकास को लगातार अवरुद्ध किया है। इसने समाज में हिंसा, गरीबी, अराजकता और नैतिक मूल्यों के पतन जैसी समस्याओं को जन्म दिया है। सरकारी आंकड़े चाहे कुछ भी कहें, भ्रष्टाचार ऐसी दीमक है जिसने सरकारी अफसरों की विश्वसनीयता घटाई है और सरकारों को अस्थिर तक किया है।

समय-समय पर विभिन्न सरकारों ने भ्रष्टाचार निवारण के लिए कई कानूनों, निकायों एवं नियमों जैसे सूचना का अधिकार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, व्हिसल ब्लोअर एक्ट, लोकपाल अधिनियम को लागू किया है लेकिन व्यवहार के धरातल पर अगर मूल्यांकन करें तो ये सभी नियम, कानून और संस्थाए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल साबित हुई हैं। दरअसल, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जिस दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता वह हमारे नेताओं में है ही नहीं। इनके लिए भ्रष्टाचार सिर्फ एक चिंता का विषय है। उसे रोकने की संजीदगी का उनमें सर्वथा अभाव है।

लिहाजा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता बल्कि यह जन-जन का नैतिक दायित्व है जिसके निर्वाह में युवा शक्ति की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा भ्रष्टाचार के समूल उन्मूलन और शासन में पारदर्शिता स्थापित करने के लिए आधुनिक तकनीक जैसे ई-खरीद, ई-टेंडरिंग, पब्लिक डीलिंग वाले स्थान पर सीसीटीवी, ई-गवर्नेंस का प्रभावी उपयोग कर भ्रष्टाचार में कमी लाई जा सकती है। इसके अलावा संवेदनशील पदों की पहचान कर ईमानदार एवं सत्यनिष्ठ व्यक्तियों को उन पर काबिज करना और जनसाधारण में जागरूकता एवं चेतना का प्रसार, व्हिसल ब्लोअर का संरक्षण, सरकारी खरीद में पारदर्शिता अपना कर इस विकराल समस्या से निपटा जा सकता है।

*• पुष्पेंद्र पाटीदार, राऊ, जिला इंदौर*

## आपराधिक लापरवाही

हाल ही में हरियाणा के हिसार से डेढ़ वर्ष के एक बच्चे के बोरवेल में गिरने के बाद उसे बचाए जाने की सुखद खबर आई। बच्चों के इस तरह खुले गड्ढों या बोरवेल में गिरने की घटनाएं नई नहीं हैं। सबसे पहले 2006 में हरियाणा के एक पांच वर्षीय बालक प्रिंस के बोरवेल में गिरने... [illegible] है। राज्य सरकारों द्वारा पीड़ितों को मुआवजा भी दिया जाता है। इसकी भरपाई के विषय में कभी विचार नहीं किया गया। किसी व्यक्ति विशेष की लापरवाही का बोझ सरकारी खजाने नहीं पड़ने देना चाहिए। पूरे घटनाक्रम की जवाबदेही तय करते हुए खर्च हुए शासकीय पैसे की भरपाई संबंधित दोषी व्यक्ति से किए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करते हुए मौजूद कानूनी प्रावधानों को सख्ती से लागू कराने की जरूरत है।

*• ऋषभ देव पांडेय, छत्तीसगढ़*

**किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश**

**आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com**

## नफा या नुकसान

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 'न्याय' नामक योजना की घोषणा कर पांच करोड़ निर्धन परिवारों को 12000 रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा की है। साल भर में यह राशि 1,44,000 रुपए बैठती है पर राहुल के अनुसार वार्षिक राशि 72,000 रुपए रहेगी। ऐसा क्यों और कैसे? पर चलिए, 72 हजार ही मान लेते हैं। तो भी इस भुगतान के लिए प्रति वर्ष 3,60,000 करोड़ रुपयों का आवंटन करना पड़ेगा। कहां से आएगा इतना पैसा? क्या इसके लिए वर्तमान में पांच करोड़ गरीब परिवारों को दी जा रही सरकारी सब्सिडी, जो प्रति परिवार 1,06,000 रुपए होती है, और इस प्रकार 5,30,000 करोड़ रुपए सालाना का बोझा राजकोष पर डालती है, को राहुल समाप्त कर देंगे? इस प्रश्न का वे ठीक-ठीक उत्तर दें, कहीं उनके 72,000 के चक्कर में गरीब लोग एक लाख छह हजार रुपए की वर्तमान में मिल रही सहायता खो बैठें, यानी 34,000 हजार रुपए का शुद्ध नुकसान भुगतें। पहले ही कर्नाटक, मध्यप्रदेश व राजस्थान के किसान कजमाफी की उनकी घोषणा का खमियाजा भुगत रहे हैं।

*• पूनम मित्तल, मोहनपुरी, मेरठ*

## शोध का विषय

हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक परिपत्र जारी किया जिसमें कहा गया था कि सभी विश्वविद्यालयों के छात्रों को शोध का विषय राष्ट्रीय प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए तय करना चाहिए। इस परिपत्र के प्रति कुछ छात्रों व प्राध्यापकों ने विरोध जाहिर किया, और यह मुद्दा तब और ज्यादा प्रकाश में आया जब केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय की प्रोफेसर मीना टी पिल्लई ने इस परिपत्र के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका यह कदम भी वाजिब है, क्योंकि आखिर यह कौन तय करेगा कि राष्ट्रीय प्राथमिकता का विषय कौन-सा है और कौन-सा नहीं है?

अगर इस आधार पर शोध-विषय निर्धारित होने लगे तो शोध के मायने ही क्या रह जाएंगे! एक विचारधारा से प्रभावित प्रोफेसर संबंधित विचारधारा से जुड़े विषय को राष्ट्रीय प्राथमिकता की सूची में और बाकी विचारधाराओं से संबंधित विषयों को इस सूची से बाहर कर देंगे। ऐसे में सबसे अहम बात यह कि किसी क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण शोध होने के बाद ही उसकी प्रासंगिकता या अप्रासंगिकता के बारे में जानकारी मिलती है। इसलिए, ऐसे मामलों में जहां तक हो सके सरकार को किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए।

*• चंद्रशेखर मीना, बीएचयू, वाराणसी*